I/199037/2024

संख्या– 199037 /XXXIV-2/2024/36230/2022

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद(यू–कॉस्ट)
देहरादून।

सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 14 **मार्च, 2024**

विषयः– विज्ञान केन्द्र, चम्पावत की स्थापना लागत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के पत्र संख्या–452 दिनांक 20.02.2024 तथा आपके पत्र संख्या–25394 दिनांक 02.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विज्ञान केन्द्र चम्पावत के निर्माण कार्य एवं प्रदर्शक, प्लेनिटोरियम उपकरण, फर्नीचर आदि की खरीद सहित कुल रू0 5720.37 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त के कम में विज्ञान केन्द्र, चम्पावत की स्थापना हेतु शासन स्तर पर व्यय वित्त समिति, द्वारा समयक विचारोंपरांत कुल रू0 5552.62 लाख (रू0 पचपन करोड़ बावन लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि को औचित्यपूर्ण पाया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विज्ञान केन्द्र, चम्पावत की स्थापना हेतु कुल रू0 5552.62 लाख (रू0 पचपन करोड़ बावन लाख बासठ हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि बजट के आधार पर भवनों का निर्माण इस प्रकार से हो कि निर्मित भवन को उपयोग में लाया जा सकें। अपरिहार्य परिस्थिति में बजट की अनुपलब्धता के कारण कार्य को अवरूद्ध भी करना पडे तो तकनीकी दृष्टिकोण से सुरक्षित Stage पर ही अवरूद्ध किया जाय।

(2) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व प्रदर्शक (exhibitor) फर्नीचर, प्लनिटोरियम् उपकरण आदि मदों हेतु प्राविधानित एकमुश्त धनराशि के विरूद्ध विस्तृत आगणन की सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त एक–एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(3) फर्नीचर, उपकरणों एवं आवश्यक सेवाओं आदि का Procurement Plan इस प्रकार तैयार कर लिया जाय जिससे कि भवन पूर्ण होने पर आवश्यकतानुरूप Procurement का कार्य समय से पूर्ण हो जाय।

(4) भवन का निर्माण स्थानीय वास्तुकला के अनुरूप किया जाय।

(5) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व भवन की Structural Design एवं Drawing का किसी अधिकृत संस्थान से वैट अवश्य करा लिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

(6) अग्नि सुरक्षा हेतु परिसर में Inbuilt Fire Safety Mechanismका प्राविधान किया जाय तथा नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाय। कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा के कार्यो के प्राविधान को अग्नि सुरक्षा विभाग से वैट अवश्य कराया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अग्नि सुरक्षा के कार्यो को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(7) परिसर में विद्युतीकरण के प्राविधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई0ई0सी0–62561–7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning Protection System IEC62305मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व विद्युतीकरण के प्राविधानों को सम्बन्धित विभाग से Vett करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विद्युतीकरण के कार्यो को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त किया जाय। विद्युतीकरण के कार्यो को विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं से ही सम्पादित कराया जाय।

(8)भवनों में Green Building के मानकों के अनुसार आवश्यक प्राविधान किये जाय।

(9) तृतीय पक्ष गुणवत्ता एजेन्सी से तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य कराया जाय।

(10) आगणन में डी0एस0आर0 2023 की दरों का प्राविधान किया गया है, जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त करते हुए दर विश्लेषित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही इन मदों का कार्य किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(11)योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(12)योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) परिसर भवन में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्राविधान अवश्य किये जाय।

(14) परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वास्तुविद् आदि की Fee में कोई वृद्धि नहीं होगी।

—— विषयगत कार्य हेतु पूर्व में निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति संबंधी कार्यालय आदेश संख्या–88954 दिनांक 05 जनवरी, 2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 14-03-2024 19:19:16 (शैलेश बगौली)

सचिव,

Scanned with OKEN Scanner